न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 77 / 2023 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा

—प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश (दत्तक), सुशीला, सोनिया पिता रामलाल धाकड निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 09.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम बेरीसाल की आ.न. 550 / 337 कुल रकबा 0.0809 हैक्ट. भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सम्मन तामील के लगातार अनुपस्थित। विपक्षी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा हैं।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम बेरीसाल की आ.न. 550 / 337 कुल रकबा 0.0809 हैक्ट. भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के